प्रपत्र – क

संग्रहालय अनुदान स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र :

घटक क : जिला एवं क्षेत्रीय संग्रहालयों की स्थापना और विकास

परियोजना के ब्यौरे :

क्र.सं.	मद	ब्यौरे
1.	परियोजना के प्रभारी अधिकारियों का संग्रहालय/संस्था/सोसायटी/न्यास का नाम एवं पत्राचार का पूरा पता, टेलीफोन नं. और ई–मेल सहित	
2.	पंजीकरण की संख्या और तारीख *	
3.	क्या अनुदान, एक नई संग्रहालय की स्थापना अथवा मौजूदा संग्रहालय के विकास हेतु अपेक्षित है	
4.	भूमि के ब्यौरे कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें :– (क) क्षेत्रफल (ख) भौगोलिक स्थान (ग) स्वामित्व का प्रमाण (घ) भूमि की स्थिति : क्या लीसहोल्ड था फ्री होल्ड है। **	
5.	संग्रहालय हेतु उपलब्ध कला वस्तुओं के ब्यौरे : कृपया निम्नलिखित ब्यौरे देते हुए सूची संलग्न करें : (क) कलावस्तुओं की संख्या और ब्यौरे (मूर्तियां, पेंटिंग्स, सिक्के, पांडुलिपि आदि) (ख) प्राप्ति का स्रोत (प्रत्येक मामले में)	
6.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सहित भवन योजनाओं*** के ब्यौरे। यदि संग्रहालय के पास मौजूद भवन है, तो कृपया तत्संबंधी ब्यौरे दें :– – कुल निर्मित क्षेत्र – वीथियों की संख्या एवं उनके नाम	
7.	प्रार्थित वित्तीय सहायता हेतु घटकों के मदवार ब्यौरे (स्कीम में प्रदान की गई शामिल घटकें)	
8.	परियोजना की कुल लागत	
9.	परियोजना हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले संगठन की अपनी निधि के ब्यौरे	
10.	परियोजना पूरी होने की अवधि	
11.	संग्रहालय के प्रवेश शुल्क की दर यदि है तो और	

	आगंतुको के लिए संग्रहालय खुलने का समय	
12.	गत 3 वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आए आगंतुकों की संख्या	
13.	नियोजित कर्मचारियों के ब्यौरे	
14.	मदवार वार्षिक बजट और पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान व्यय ***	
15.	किसी भी पूर्व अवसर पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिये गए अनुदान के ब्यौरे	
16.	प्रस्ताव के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची	

संगठन की मुहर के साथ प्राधिकृत हताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :

* पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।

** जिला राजस्व प्राधिकारी से गैर देयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

*** निर्मित अथवा नवीनीकरण किए जाने वाले भवन का कुल क्षेत्र / कृपया भवन संबंधी योजना एवं रेखा-चित्र (ड्राईंग) संलग्न करें।

**** कृपया संस्कृति मंत्रालय से संगठन द्वारा प्राप्त किए गए किसी भी पूर्ववर्ती अनुदान संबंधी स्कीम-वार ब्यौरे दें।

परियोजना प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली दस्तावेजों की सूची

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किया जाना अपेक्षित है, जिसके न होने पर अनुदान के लिए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

i) प्रत्येक मद के संबंध में विस्तृत प्राक्कलनों और रेखा चित्रों वाली एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। ये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और प्राक्कलन संबंधित क्षेत्र की किसी प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा तैयार की जानी चाहिए और प्राक्कलन का सरकार/ सीपीडब्ल्यूडी/ पीडब्ल्यूडी इंजीनियर द्वारा अधिप्रमाणन किया जाना चाहिए। परियोजना प्रस्ताव में संबंधित संग्रहालय की मौजूदा दर्शक रूप-रेखा तथा परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात् ऐसी रूप-रेखा में अनुमानित परिवर्तनों का भी उल्लेख होना चाहिए। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ संग्रहालय की कलावस्तुओं और संग्रहों के छायाचित्र भी संलग्न किया जाने चाहिएं।

ii) गत तीन वर्षों के संपरीक्षित लेखा विवरण की प्रतियां।

iii) नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट/कार्यकलाप रिपोर्ट।

iv) परियोजना के वित्तपोषण के अन्य स्रोतों के ब्यौरे और संग्रहालय हेतु भावी स्थिरता योजना।

v) संगठन के नाम भूमि के स्वामित्व तथा कब्जे संबंधी दस्तावेज़ (स्व अभिप्रमाणित प्रतियां)।

vi) नियम 209(1) सामान्य वित्तीय नियम 2005 के अनुसार प्रमाण-पत्र (संलग्न प्रपत्र में)।

vii) बंध-पत्र (संलग्न प्रपत्र में)

viii) बैंक में सीधे अनुदान भेजने का प्राधिकार-पत्र (संलग्न प्रपत्र में)।

ix) संगठन के संगम-ज्ञापन और संगम अनुच्छेद की प्रतिलिपि/ सोसायटी/न्यास के नियमों एवं उप-विधियों की प्रतिलिपि, जैसा भी मामला हो।

x) पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति।

xi) निर्धारित प्रपत्र में राज्य सरकार की सिफारिश।

xii) निर्धारित प्रपत्र में संस्कृति मंत्रालय के केन्द्रीय योजना जांच स्कीम के अंतर्गत एजेंसी का पंजीकरण।

सामान्य वित्तीय नियम (जी एफ आर) 2005 के नियम 209 (1) के अनुसार प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ....(संगठन का नाम) ने इस प्रयोजनार्थ या कार्यकलाप हेतु भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से अनुदान प्राप्त नहीं किया है या उसके लिए आवेदन नहीं किया है।

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

रबड़ की मोहर ....

स्थान :

तिथि :

(20/- रु. के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाए)

बन्ध–पत्र

यह सबको ज्ञात हो कि .... समिति (पंजीकरण प्रमाण–पत्र में दिए अनुसार संगठन का नाम), सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 दिनांक .... के पंजीकरण संख्या ... . के तहत पंजीकृत (पंजीकरण प्राधिकारी का नाम व पूर्ण पता) जिसका कार्यालय ....राज्य में ....में स्थित है (जिसे आगे अनुदानप्राप्तकर्ता कहा गया है) भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें आगे सरकार कहा गया है) के नाम प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित .... रु. (...रूपए केवल) की राशि, मांग पर अबिलम्ब राष्ट्रपति को अनुदानप्राप्तकर्ता तथा उसके उत्तराधिकारियों द्वारा उपस्थित व्यक्तियों के साक्ष्य में उक्त राशि लौटाने तक अप्रतिबंध रूप से प्रतिभू एवं बंधक है।

2. इस बंध–पत्र पर वर्ष दो हज़ार और .... में .... के दिन .... को हस्ताक्षर किए गए।

3. जबकि अनुदानप्राप्तकर्ता ने दिनांक .... के अपने पत्र सं. .... के जरिए .... रु. के अनुदान हेतु .... मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से सरकार को एक अनुरोध प्रस्ताव भेजा है, अनुदानप्राप्तकर्ता, सरकार को प्रस्तुत प्रस्ताव में किए गए अनुरोध के अनुसार .... रु. की समग्र राशि के संबंध में .... मंत्रालय, भारत सरकार के नाम अग्रिम रूप से यह बन्ध–पत्र निष्पादित करने पर सहमत है। अनुदानप्राप्तकर्ता प्रस्तावित राशि या सरकार द्वारा अनुमोदित/संस्तुत किसी भी राशि को स्वीकार करने का इच्छुक है। अनुदानप्राप्तकर्ता वचनबद्धता के साथ प्रस्तावित राशि व इस बंध–पत्र को इच्छा से निष्पादित कर रहा है कि वह इस राशि तक या सरकार द्वारा अनुमोदित/संस्तुत वास्तविक राशि, जो भी कम हो, द्वारा बाध्य होगा। अनुदानप्राप्तकर्ता सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले ''संस्तुति–पत्र'' में उल्लिखित सभी शर्तों एवं निबंधनों को भी इच्छा से स्वीकार करता है।

4. अब उक्त लिखित बाध्यता की शर्त ऐसी है कि यदि अनुदानप्राप्तकर्ता अनुदान–पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों को विधिवत् रूप से पूरा करता है और उनका अनुपालन करता है तो उक्त लिखित बंध–पत्र या दायित्व अप्रभावी होगा, परन्तु अन्यथा स्थिति में यह बाध्यता पूर्णतः प्रवृत्त, एवं विद्यमान रहेगी। यदि उस अवधि के

भीतर, जिसमें अनुदान का उपयोग किया जाना अपेक्षित है, के समाप्त होने के बाद अनुदान का कोई भाग अप्रयुक्त रह जाता है तो अनुदानप्राप्तकर्त्ता प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत ब्याज की दर से अप्रयुक्त शेष राशि लौटाने पर सहमत है जब तक कि संस्तुत प्राधिकारी अनुदान की उक्त राशि को आगामी वित्त वर्ष में अग्रेषित करने पर सहमत न हों। अनुदान की राशि, उस पर अर्जित ब्याज सहित वापिस की जाएगी।

5. सोसायटी/न्यास, मुख्यतः सरकारी अनुदान से सृजित/अधिग्रहीत/निर्मित सम्पत्ति/भवन या अन्य परिसम्पत्तियों के अनधिकृत उपयोग (जैसे उस प्रयोजन से इतर ऐसे किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त धन या उससे कम हेतु परिसर को किराए पर देने या उसका उपयोग करना जिसके लिए अनुदान अभिप्रेत था) से प्राप्त या उत्पन्न होने वाले/प्राप्त किए गए या उत्पन्न किए गए ऐसे सभी धन या अन्य लाभों की वित्तीय राशि को सरकार को लौटाने/अदा करने पर सहमत तथा वचनबद्ध है। .... विभाग में, ... मंत्रालय में सचिव, भारत सरकार या संबंधित मंत्रालय या विभाग के प्रशासनिक अध्यक्ष का निर्णय, सरकार को वापिस/ अदा किए जाने हेतु उक्त धन से संबंधित सभी मामलों के बारे में अंतिम होगा और यह सोसायटी/न्यास के लिए बाध्यकारी होगा।

6. अनुदानप्राप्तकर्त्ता की कार्यकारी समिति के सदस्य :

(क) संस्तुति-पत्र में विनिर्दिष्ट लक्षित तारीखों के संबंध में सहायता अनुदान की शर्तों का पालन करेंगे और

(ख) अनुदान की राशि का उपयोग अन्यत्र, अन्य संस्थान या संगठनों के लिए नहीं करेंगे या संबंधित स्कीम या कार्य के निष्पादन को उक्त संस्थान या संगठन को नहीं सौंपेंगे ; और

(ग) सहायता अनुदान को शासित करने वाले करार में विनिर्दिष्ट अन्य किसी शर्त का पालन करेंगे।

यदि अनुदानप्राप्तकर्त्ता, बन्ध-पत्र की शर्तों का पालन नहीं करता है या शर्तों का उल्लंघन करता है तो, बन्ध-पत्र पर हस्ताक्षरकर्त्ता संयुक्त रूप से और गंभीरता से समग्र अनुदान या उसके भाग को 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भारत के राष्ट्रपति को लौटाने के लिए बाध्य होंगे। इस बन्ध-पत्र का स्टाम्प शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

7. उपस्थित व्यक्ति इस बात के भी साक्ष्य हैं कि :

i) इस संबंध में .... विभाग, ... मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव का निर्णय अंतिम होगा तथा अनुदानप्राप्तकर्त्ता पर बाध्य होगा कि क्या संस्तुति-पत्र में उल्लिखित किसी शर्त और निबंधन को भंग किया गया है या उसका उल्लंघन किया गया है; और

ii) इन दस्तावेज़ों पर संदेय स्टाम्प शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

इस साक्ष्य में कि इन दस्तावेज़ों को निम्नानुसार अनुदानप्राप्तकर्त्ता की ओर से और अनुदानप्राप्तकर्त्ता के शासी निकाय कार्यकारी समिति द्वारा पारित दिनांक .... के संकल्प संख्या .... के अनुसरण में उक्त उल्लिखित तारीख को निष्पादित किया गया है जिसकी एक प्रतिलिपि अनुबंध 'ख' के रूप में संलग्न है।

( )

कृते एवं आवेदक की ओर से
अनुदानप्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर

(यथा पंजीकृत अनुदानप्राप्तकर्त्ता एसोसिएशन का नाम)
पूरा डाक पता ....
टेलीफोन नं./मोबाइल नम्बर ....
ई–मेल पता (यदि कोई हो) ....
फैक्स नम्बर ....

1. एसोसिएशन की पंजीकरण संख्या ....
2. पंजीकरण की तारीख ....
3. पंजीकरण प्राधिकारी (आर ए) ....
4. डाक पता (आर ए) ....
5. आर.ए. का पंजीकरण प्राधिकारी का टेलीफोन नं./ई–मेल आदि ....
   (की उपस्थिति में) गवाह का नाम एवं पता

i)

ii)

(हस्ताक्षर)
भारत के राष्ट्रपति और उनकी ओर से स्वीकार किया गया

पदनाम
दिनांक
नाम एवं पता

प्राधिकार–पत्र

(मैं/हम ....) (संगठन/सोसायटी/गैर सरकारी संगठन का नाम) .... मंत्रालय द्वारा मुझे/हमें प्रदत्त सहायता अनुदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे हमारे बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते हैं। इसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

भुगतान प्राप्तकर्त्ता का ब्यौरा

1. अनुदानप्राप्तकर्त्ता का नाम, बैंक खाते में नाम के अनुसार ....
2. पता ....
3. जिला ....
4. पिन कोड ....
5. राज्य ....
6. टेलीफोन नम्बर एस टी डी कोड सहित ....
7. फैक्स नम्बर ....
8. ई–मेल पता (यदि कोई हो) ....

बैंक ब्यौरा

1. बैंक का नाम ....
2. बैंक शाखा (पूरा पता व टेलीफोन नं.) ....
3. बैंक खाता संख्या ....
4. खाते की किस्म ....
5. उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक अन्तरण का तरीका (आर टी जी एस/एन आई एफ डी/कोई अन्य) ....
6. आई एफ एस सी कोड ....

7. एम आई सी आर कोड ....

हस्ताक्षर (नाम) ....

संगठन का नाम ....

पंजीकरण संख्या ....

प्राधिकारी एवं पंजीकरण का स्थान ....

पंजीकरण की तारीख ....

मैंने खाता संख्या का सत्यापन किया है

प्रबंधक

(बैंक शाखा जहां खाता है)

(मोहर)

राज्य सरकार के संग्रहालयों से संबंधित विभाग की सिफारिश

(कोई भी भाग रिक्त न छोड़ा जाए)

1. .... का आवेदन–पत्र उस जिले के उपायुक्त/कलेक्टर की रिपोर्ट/टिप्पणियों के आधार पर अग्रेषित और संस्तुत किया जाता है जिस जिले में संग्रहालय विशेष स्थित है (राज्य सरकार के संग्रहालय को छोड़कर)। उपायुक्त की रिपोर्ट/टिप्पणियां भी संलग्न हैं।

2. संस्थान की स्थिति

3. भूमि की स्थिति जहां संग्रहालय स्थित है

4. आवेदन–पत्र की जाँच की गई है और उसे पात्र पाया गया है

5. जिन मदों के लिए अनुदान माँगा गया है, उनके संबंध में राज्य सरकार की टिप्पणियाँ

6. अपना हिस्सा तथा अपेक्षित शेष राशि, यदि कोई हो, जुटाने के लिए संस्थान/संगठन द्वारा किए गए वित्तीय प्रबंध

तारीख :

स्थान :

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

आवेदन–पत्र की सिफारिश करने वाले अधिकारी की रबड़ मोहर

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली के अधीन एजेंसी के पंजीकरण हेतु प्रपत्र

1.	पंजीकरण का प्रारूप :	(केन्द्र सरकार/ केन्द्र सरकार पीएसयू/ राज्य सरकार संस्थान/ राज्य सरकार पीएसयू/ पंजीकृत सोसाइटी/ गैर-सरकारी संगठन/ न्यास आदि) **(जो लागू नहीं है कृपया काट दें)**
2.	एजेंसी का नाम :	
3.	अधिनियम / पंजीकरण संख्या :	
4.	पंजीकरण की तिथि (दिनांक / महीना/ वर्ष):	
5.	पंजीयन प्राधिकारी :	
6.	पंजीयन राज्य :	
7.	टीआईएन (टिन) संख्या :	
8.	टीएएन (टैन) संख्या :	
9.	ब्लॉक नं./ भवन/ ग्राम/ परिसर का नाम :	
10.	सड़क / गली/ डाक घर :	
11.	क्षेत्र / इलाका :	
12.	शहर :	
13.	राज्य :	
14.	जिला :	
15.	पिन कोड :	
16.	संपर्क व्यक्ति :	
17.	दूरभाष संख्या :	

18.	वैकल्पिक दूरभाष / मोबाइल संख्या :	
19.	ई-मेल :	
20.	युनीक एजेंसी कोड :	(मंत्रालय द्वारा भरा जाना है)
21.	बैंक का नाम :	
22.	शाखा :	
23.	खाता संख्या :	
24.	बैंक खाते के अनुसार एजेंसी का नाम :	

(टिप्पणी : क्रम संख्या 21 से 24 तक की सूचना, बैंक से प्रदत्त प्राधिकार पत्र की सूचना के समान होगी)

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्थान :

दिनांक :